

प्रेषक,

डॉ० भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग

देहरादून : दिनांक : 15 जनवरी, 2019

विषय- जनपद-पिथौरागढ़ के ग्राम लेलू में स्पोर्ट्स कॉलेज के निर्माण कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-993/संबंधित निर्माण पत्रा०/2015-16/दे०दून, दिनांक 05 दिसम्बर, 2018 एवं शासनादेश संख्या-288/VI-2/2015-22(12)/2014-टी०सी०, दिनांक 30 मार्च, 2015, शासनादेश संख्या-149/VI/2015-22(12)/2014-टी०सी०, दिनांक 17 दिसम्बर, 2015, शासनादेश संख्या-348/VI/2016-22(12)/2014-टी०सी०- II(बजट), दिनांक 27 अप्रैल, 2016 एवं शासनादेश संख्या-628/VI/2016-22(12)/2014-टी०सी०- II(बजट), दिनांक 01 अगस्त, 2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-पिथौरागढ़ के ग्राम लेलू में स्पोर्ट्स कॉलेज के निर्माण कार्य हेतु प्रस्तुत आगणन ₹ 2447.55 लाख के सापेक्ष वित्त विभाग द्वारा संस्तुत आगणन ₹ 2444.73 लाख (सिविल कार्यों हेतु ₹ 2157.58 लाख तथा अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार कराये जाने वाले कार्यों हेतु ₹ 287.17 लाख) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप संस्तुत आगणन की आंकलित धनराशि के शासनादेश में आंशिक संशोधन विषयक व्यय वित्त समिति एवं वित्त विभाग द्वारा दी गयी सहमति के क्रम में संशोधन शासनादेश संख्या-217/VI/2016-22(12)/2014-टी०सी०-II(बजट), दिनांक 30 मार्च, 2017 में आंकलित धनराशि ₹ 1950.00 लाख (DSR=₹ 1335.83 लाख, SOR=₹ 503.46 लाख, NON DSR = ₹ 110.72 लाख) के क्रम में वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रथम किश्त के रूप में ₹ 500.00 लाख, वित्तीय वर्ष 2015-16 में द्वितीय किश्त के रूप में ₹ 100.00 लाख, वित्तीय वर्ष 2016-17 में तृतीय किश्त के रूप में ₹ 66.67 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 में चतुर्थ किश्त के रूप में ₹ 133.33 लाख इस प्रकार ₹ 800.00 लाख की धनराशि उपलब्ध करा दिये जाने के उपरान्त अवशेष बची धनराशि ₹ 1150.00 लाख के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष पंचम किश्त के रूप में ₹ 300.00 लाख (₹ तीन करोड़ मात्र) की धनराशि के रूप में की धनराशि आपके निर्वतन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की "राज्यपाल महोदय" सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

2. स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 एवं शासनादेश संख्या-519/3(150)-2017/XXVII(1)/2018, दिनांक 02 अप्रैल, 2018 में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। उक्त कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्त विभाग के शासनादेश सं0-474/XXVII(7)/2008, दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 के विहित शर्तों के अनुसार कार्यदायी संस्था से निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि मदवार स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
4. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
5. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली-भाँति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।
6. अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण शासन को प्रेषित किये जाय तथा समस्त कार्य निर्धारित समय अवधि के भीतर ही पूर्ण किया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।
7. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
8. अधिप्राप्ति कार्यो हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति संशोधित नियमावली, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
9. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका से करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। कार्य करते समय टेण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जाय।
10. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। तथा विलम्ब के कारण आगणन किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा। कार्य का गुणवत्ता परीक्षण नियोजन विभाग द्वारा चयनित संस्था से कराये जाने हेतु प्रस्ताव समयान्तर्गत नियोजन विभाग को प्रेषित करते हुए समयबद्ध कार्यवाही की जायेगी।

11- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-11-आयोजनागत-लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत व्यय-03 खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम-102-खेलकूद स्टेडियम-14-पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कॉलेज के भवन का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य मानक मद के आयोजनागत पक्ष में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष नामे डाला जायेगा।

12- यह स्वीकृति वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-519/3(150)-2017/XXVII(1)/2018, दिनांक 02 अप्रैल, 2018 में दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत की जा रही है।

संलग्नक:-अलाटमेंट आई0डी0 संख्या-S1901110184, दिनांक 15 जनवरी, 2019

भवदीय,

(डॉ० भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-850 /VI /2019-22(12) /2014-टी0सी0- ॥(बजट), तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
3. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पिथौरागढ़।
5. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
6. महाप्रबन्धक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम, देहरादून।
7. परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम, पिथौरागढ़ इकाई।
8. प्रधानाचार्य, स्पोर्ट्स कॉलेज पिथौरागढ़/जिला कीड़ाधिकारी, पिथौरागढ़।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
10. एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य मोहन नौटियाल)
अपर सचिव।